राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 2009 / 13 अग्रहायण, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-71002, 11th November, 2009.

No. Rev –C (A) 1-4/2008.—In continuation of this department Notification of even number dated 27.06.2009; Whereas in the State of Himachal Pradesh, it is not reasonably practicable to constitute an electoral college for any of the categories mentioned in sub-clauses (i) to (iii) of clause (b) of Sub-Section (1) of Section 14 of the Wakf Act, 1995 for want of non-availability of eligible members;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon her under Sub-Section (3) of Section 14 of the Wakf Act 1995, the Governor Himachal Pradesh is pleased to nominate the following members from the Muslim community as the members of the Himachal Pradesh Wakf Board with immediate effect:—

Sl. No.	Name and Address of Member	Provision of the act under which nominated
1	Sh. Mureed Hussain,S/o Sh.Fakrudeen,Village Mandmiani, P.O. Mandmanjhwa , Tehsil Indora, Distt. Kangra, H.P.	Nominated under Sub-Section (3) of Section 14 of the Wakf Act, 1995.
2.	Sh. Zulfikar Ali Bhutto, S/o Late Sh. Sattar Mohmmed, H.No.123/1Main Bazar Ghumarwin Distt. Bilapur, H.P.174021	Nominated under Sub-Section (3) of Section 14 of the Wakf Act, 1995.

The other terms and conditions of the above members will be issued separately.

By order,
Sd/-
ACS-cum-*FC.*

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला–2 11 नवम्बर, 2009.

संख्याः रैव–सी(ए)1–4 / 2008.–– इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 27–06–2009 के क्रम में; हिमाचल प्रदेश राज्य में, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 की उप–धारा (।) के खण्ड (ख) के उप खण्ड(i) से (iii) में वर्णित किसी भी प्रवर्ग के लिए, पात्र सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण, निर्वाचकगण (इलैक्टोरल कॉलेज) का गठन करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 की उप–धारा (3) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुस्लिम समुदाय से निम्नलिखित सदस्यों को हिमाचल प्रदेश वक्फ बार्ड के सदस्यों के रूप में, तुरन्त प्रभाव से नामनिर्दिष्ट करती हैं :–

क्रम संख्या	सदस्य का नाम और पता	अधिनियम के उपबन्ध जिसके अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया।
1.	श्री मुरीद हुसैन, सुपुत्र श्री फकरूदीन, गांव मण्डमियानी, डाकखाना मण्डमंझवा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगडा, हि0प्र0।	वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 की उप–धारा (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट।
2.	श्री जुल्फीकार अली भुट्टो, सुपुत्र स्वर्गीय श्री सत्तार मोहम्मद, मकान नम्बर 123 / 1 मेन बाजार घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।	वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 की उप–धारा (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट।

उपरोक्त सदस्यों के अन्य निबन्धनों और शर्तों को पृथकतः जारी किया जाएगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
अति0 मुख्य सचिव–एवं वित्तायुक्त।

TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 3rd December, 2009

No. TSM-E(3)-5/2007.—In partial modification of this department notification No. TSME (3)-5/2007 dated 7th July, 2009, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to publish the name, designation and other particulars of the Public Information Officer in respect of Tourism & Civil Aviation Department at Administrative Department level at Secretariat with immediate effect, in the public interest as under:—

Name and Designation	Office Address	Office telephone No.	E-mail address	Jurisdiction
Shri Sunil Chaudhary, HAS Special Secretary (Tourism) to the Govt. of H.P.	Ellerslie Building, H.P.Sectt. Shimla-171002.	0177-2622286	—	Administrative Deptt. level in the Secretariat in respect of Tourism & Civil Aviation Section.

By order,
MANISHA NANDA,
Pr. Secretary.

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला–9, 1 दिसम्बर, 2009

संख्याः–पीसीएच–एचबी(15)2 / 95–पार्ट–1–30303–34.––राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज विभाग में राजपत्रित श्रेणी–1 के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के आगे कॉलम संख्या 5 में दर्शाई गई तिथि से अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने उपरान्त उन्हें सरकारी सेवा से सेवा निवृत करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैंः–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान तैनाती स्थान	सेवानिवृति दिनांक
1	श्री नन्दलाल, जिला पंचायत अधिकारी	20–4–1952	जिला पंचायत अधिकारी, कार्यालय बिलासपुर	30–4–2010 (अपराहन)
2	श्री नरेश कुमार शर्मा, प्राचार्य, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान	4–5–1952	पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, बैजनाथ	31–5–2010 (अपराहन)
3.	श्रीमती रामकली, जिला पंचायत अधिकारी	9–9–1952	जिला पंचायत अधिकारी, कार्यालय ऊना	30–9–2010 (अपराहन)
4.	श्री नागेन्द्र चन्द वर्मा, जिला पंचायत अधिकारी	1–1–1953	जिला पंचायत अधिकारी, कार्यालय कुल्लू	31–1–2010 (अपराहन)
5.	श्री हितेन्द्र चन्देल, जिला पंचायत अधिकारी	8–2–1953	जिला पंचायत अधिकारी, कार्यालय शिमला	28–2–2011 (अपराहन)

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव ।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 23 नवम्बर, 2009

संख्या पब ए (3)–29 / 99.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में संयुक्त निदेशक, वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से सेलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग संयुक्त निदेशक, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**–(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या पब–ए–(3)–23 / 95 तारीख 15–09–1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, संयुक्त निदेशक, (वर्ग–I राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
सचिव।

———————

उपाबन्ध 'क'

हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, संयुक्त निदेशक, वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**–संयुक्त निदेशक

2. **पदों की संख्या.**–04 (चार)

3. **वर्गीकरण.**–वर्ग–I (राजपत्रित)

4. **वेतनमान.**– (i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान : 10025–275–10300–340–12000–375. 13500–400–15100 रूपए।

 (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 15,037 / – रूप्ये (वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर) प्रतिमास।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**– चयन

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**–18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है / किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया जाता है, या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.–(क) **अनिवार्य अर्हर्तताए––(**i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समतुल्य।

(ii) पत्रकारिता एवं जन सम्पर्क (मास कम्यूनिकेशन) या विज्ञापन या लोक सम्पर्क में डिप्लोमा।

(iii) सरकार या प्रमुख प्राईवेट समुत्थान में लोक सम्पर्क / प्रचार / सूचना में किसी उत्तरदायी पद पर आठ वर्ष का अनुभव।

(ख) **वांछनीय अर्हताएं––**(i) कथा लेखन, दृष्य लेखन तथा नाटक लेखन में अनुभव।

(ii) मलू लेखन के लिए सूक्ष्मदर्शिता।

(iii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं म ं नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत किए गए व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.– आयु––लागू नहीं। **शैक्षिक अर्हता**––लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.–दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति–भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.–यथास्थिति, शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सेकेन्डमैंट आधार पर, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती

द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएगा.– उप निदेशक और वरिष्ठ सम्पादक में से प्रोन्नति द्वारा जिनका कम से कम तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो। ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश के अन्य विभागों से इस पद के समतुल्य वेतनमान के पदधारियों में से सेकेन्डमैंट आधार पर :

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र अधिकारियों की ग्रेड में उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी संवर्ग–वार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना, एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगीः

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषण) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपयुक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे कनिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.––अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा / समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोरसिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्निकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्निकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.– जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.– जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.– किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना आवश्यक है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.– सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठयक्रम, इत्यादि यथास्थिति, आयोग / अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.–इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगीः–

(I) संकल्पना––(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में संयुक्त निदेशक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढाया जा सकेगा।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.––**सचिव (सूचना एवं जन सम्पर्क), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में यथा विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां––संविदा के आधार पर नियुक्त संयुक्त निदेशक को 15037 / –रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 275 / – रूपए की रकम (पद के वेतनमान के न्यूनतम / प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी––सचिव (सूचना एवं जन सम्पर्क हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया––संविदा नियुक्ति की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति––जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार––अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें––(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 15,037 / –रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष / वर्षो के लिए संविदात्मक रकम में 275 / –रूपए की वार्षिक वृद्धि (पद में वेतनमान के न्यूनतम / प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0 आर0–एस0आर0, छुटटी नियम, साघारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे ।

16. आरक्षण.–सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.– सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.– जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणो को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति/(व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

————————

उपाबन्ध 'ख'

संयुक्त निदेशक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति पुत्र/पुत्री.....निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने संयुक्त निदेशक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :–

1. यह कि प्रथम पक्षकार संयुक्त निदेशक के रूप में से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा.....तारीख को स्वयमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी इस पद के विरूद्व नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त संयुक्त निदेशक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त संयुक्त निदेशक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त संयुक्त निदेशक कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था, प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना (जी0आई0एस0) के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास और वर्ष को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1.————————————————————

————————————————————

————————————————————

(नाम व पूरा पता)

2.————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में
1.————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
(नाम व पूरा पता)
2.————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

————————

[Authoritative English text of this Department Notification No. Pub-A (3)29/99 dated 29 -11-2009 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 29th November, 2009

No. Pub. A(3)29/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules, for the post of Joint Director, Class-I (Gazetted) in the Department of Information & Public Relations, Himachal Pradesh, as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Information & Public Relations, Joint Director, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Information and Public Relations, Joint Director, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this Department Notification No.Pub-A-(3) 23/95 dated 15-09-97 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Secretary.

Annexure-"A"

Recruitment and Promotions Rules for the post of Joint Director Class-I (Gazetted) in the Department of Information and Public Relations, HP.

1. **Name of the Post.—** Joint Director

2. **Number of Post(s).—**04 (Four)

3. **Classification.—**Class-I (Gazetted)

4. **Scale of Pay.—** (i) Pay Scale for regular incumbents : Rs.10025-275-10300-340-12000—375-13500-400-15100.

 (ii) Emoluments for Contract employees: Rs.15,037/- per month (equal to initial of pay scale + Dearness pay).

5. **Whether "Selection" Post or "Non-Selection" Post.—** Selection.

6. **Age for direct recruitment.—** Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servant. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. **Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—** ESSENTIAL QUALIFICATIONS :

 (i) Graduate of a recognized University or its equivalent

(ii) Diploma in Journalism & Mass Communication or advertising and Public Relations.

(iii) Eight years experience of Public Relations/Publicity/Information in a responsible position in Government or leading private concern.

DESIRABLE QUALIFICATIONS:

(i) Experience in making script and scenario and play writing.

(ii) Flair for original writing.

(iii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).— Age : Not applicable.

Educational Qualification : Not applicable.

9. Period of probation, if any.— Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.— 100% by promotion failing which on secondment basis failing both by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employee will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Deputy Directors and Senior Editors with at least 03 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post and are in the identical pay scale from other H.P. Government Departments.

Provided that for the purpose of promotion a combined seniority list of eligible officers will be prepared on the basis of length of service in the respective grade without disturbing the inter-seseniority.

(i) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his / her total length of service including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the Recruitment and Promotions Rules for the post, whichever is less, Provided further that where a person becomes ineligible to be

considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him / her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service)Rules,1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged .

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstan ces under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.— As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.— A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.— Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if the HP Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc, of which will be determined by the Commission / other recruiting authority as the case may be.

15. A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below :— (I) **Concept.— (**a) Under this policy, the Joint Director in the Department of Information & Public Relations H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC: The Secretary (I&PR) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) **Contractual Emoluments.—**The Joint Director appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.15,037/- per month (which shall be equal to initial of pay scale + Dearness pay). An amount of Rs. 275/- (equal to annual increase in the

minimum / initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) **Appointing /Disciplinary Authority.—** The Secretary (I&PR) to the Govt. of H.P. will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) **Selection Process.—**Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(V) **Committee for Selection of contractual appointments.—** As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Public Service Commission from time to time.

(VI) **Agreement.—** After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) **Terms & conditions.—(**a) The Contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 15,037/- per month (which shall be equal to initial of pay scale + Dearness pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.275/- (equal to annual increase in the minimum initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(h) Provision of service Rules like FR-SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste / Scheduled Tribes / Other Backward Classes /other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to relax.—Where the state Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or Category of person(s) or post(s).

Annexure-"B"

Form of contract/ agreement to be executed between the Joint Director and the Government of Himachal Pradesh through Director, Information & Public Relations, H.P.

This agreement is made on this_____day of_____in the year_____between Sh./Smt._____s/o/D/o Sh._____R/o_____

Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Director, I&PR Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Joint Director on contract basis on the following terms & conditions:

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Joint Director for a period of 1 year commencing on day of_____and ending on the day of_____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e on_____And information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs._____ per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed / posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual Joint Director will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Joint Director. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A Contractual Joint Director will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.

9. The employee Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES

1. _____

(Name and full address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____

(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESSES

1. _____

(Name and full address)

2. _____

(Name and full address)

(Signature of the SECOND PARTY)

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–171002, 2 दिसम्बर, 2009.

संख्याः सिंचाईः11–7 / 2009–सोलन.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव घरोटी तहसील नालागढ़, जिला सोलन में नलकूप लगाने के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू–

अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू–अर्जन लोक निर्माण विभाग शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र बिघा–बिस्वा में
सोलन	नालागढ़	घरोटी	**774 / 1**	**0. 5**

————————

शिमला–171002, 2 दिसम्बर, 2009.

संख्याः सिंचाई:11–43 / 2009–शिमला.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव बड़गांव, तहसील कुमारसैन जिला शिमला में भैरा खड्ड से सरोगा के लिए उठाऊ पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू–अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू–अर्जन लोक निर्माण विभाग शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र हैक्टयर में
शिमला	कुमारसैन	बड़गांव	**591 / 1**	**0–09–31**
			839 / 1	**0–05–18**
			किता–2	**0–14–49**

————————

शिमला–171002, 2 दिसम्बर, 2009.

संख्याः सिंचाईः 11–41 / 2008–कांगड़ा––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल टटवाली मौजा रे, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना, का किनारा के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएवं एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू––अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतहेपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप–धारा **(1)** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा **(9)** की उप धारा **(1)** के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि का रेखांक, निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र क्षेत्र हेक्टयर में
कांगड़ा	फतेहपुर	महाल टटवाली मौजा रे	**833 / 1 / 1**	**0 01 81**
			833 / 3 / 1	**0 01 36**
			834 / 2 / 1	**0 00 71**
			835 / 1 / 3 / 1 / 1	**0 02 61**
			Kitas-4	**0 06 49**

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव,

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित